



भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
दिल्ली परिमंडल -2

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, आई.पी.भवन, कमरा सं. बी-108,
प्रथम तल, दूरभाष: 23370284, 20841280
email: delse-dc2@cpwd.gov.in



स. 8(40)/दि.परि-2/आर.टी.आई/2024 /1414

दिनांक. 29.08.2024

सेवा मे,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
'आर' मंडल, के.लो.नि.वि.,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत Sh. Kareem Ansari, Yugantar द्वारा सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ: अपरमहानिदेशक(दिल्ली) के कार्यालय पत्र सं0 35(1)/RTI/अ.म.नि. (दिल्ली)/2024/5118 दि. 27.08.2024.

उपरोक्त विषय के संबंध में उक्त आर.टी.आई. मामला जोकि इस कार्यालय को डायरी सं0 2586 दि. 28.08.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

यह आवेदन आपके कार्यालय से संबंधित है अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सैक्शन 6(3) के अंतर्गत उपरोक्त संदर्भित आवेदन को संलग्न कर आपके कार्यालय को जनसूचना अधिकारी के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि वांछित सूचना आप सीधे आवेदक को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना स्वयं सुनिश्चित करें।

आवेदन का कोई हिस्सा अगर आपके क्षेत्र में न हो तो वह सूचना जिसकी विषय - वस्तु किसी अन्य जन सूचना अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित हो तो वहां स्थानान्तरित करें और आवेदक को भी कृपया उसकी सूचना देने का कृष्ट करें।

कृपया ध्यान दें कि आवेदक को सूचना भेजने में देरी अथवा सूचना को न भेजने की जिम्मेवारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सैक्शन 5(4) एवं 5(5) के अंतर्गत आपकी होगी।

संलग्न: उपरोक्त आवेदन।

20

(दिनेश कुमार)

सहायक प्रशा0 अधिकारी एवं
जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

- कार्यालय अपरमहानिदेशक (दिल्ली) के.लो.नि.वि., निर्माण भवन नई दिल्ली को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
- ✓ **Sh. Kareem Ansari, Yugantar (BT6J7E5N), 3-4-142/6, Barkatpura, Hyderabad-500027** को सूचनार्थ। आपसे अनुरोध है कि आप वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये जन सूचना अधिकारी से सीधे सम्पर्क करें, वांछित सूचना प्राप्त न होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 19(1) के तहत सम्बंधित अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता, दि.परि-2, के.लो.नि.वि., नई दिल्ली से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

29/08/2024

सहायक प्रशा0 अधिकारी एवं
जन सूचना अधिकारी